राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–पं0नि0 30–102/2024 4086
प्रेषक,
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,
जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पूर्वी चम्पारण।

पटना, दिनांक– 21.10.25

विषयः– प्रखंड बंजरिया के प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।
प्रसंगः– आपका पत्रांक 449 दिनांक 18.09.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा चुनाव याचिका संख्या 04/2022 (ललन कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में जफर आजाद, पंचायत समिति सदस्य जो प्रमुख भी हैं, के निर्वाचन को दिनांक 21.07.2025 को आदेश पारित करते हुए निर्वाचन ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द करने के फलस्वरूप के पंचायत समिति सदस्य–सह–प्रमुख, **प्रखंड बंजरिया** का पद रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के अधीन **प्रखंड बंजरिया के प्रमुख के रिक्त पद पर दिनांक 07.11.2025 को निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।**

3. कृपया प्रखंड प्रमुख के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि प्रमुख के निर्वाचन हेतु दिनांक **30.10.2025** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित प्रमुख को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक 28.10.2025 के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण को भी दी जा रही है।

5. प्रमुख के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के निर्वाचन हेतु एपत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 एवं गजट संख्या 638 तथा 639 दिनांक 31.08.2010 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि प्रमुख के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक पं0नि0 30–102/2024 4086 पटना, दिनांक – 21.10.25

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

21.10.25

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847 E-mail: secbihar@gmail.com secbihar@gmail.com

Comp. 3 E:\ukumar\Election UM-US-UP-P-A-Upa.doc 2008